



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 221 राँची, बुधवार,

14 मई, 2025 (ई०)

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

13 मई, 2025

विषय :- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम-2017 के आलोक में झारखण्ड राज्य के जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत 2.5 (ढ़ाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्याहेतु वर्तमान में प्रवृत्त स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट(SBD) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में ।

सं०सं०:-प०नि०वि०-08-निबं०-विविध-15/2011--पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत 2.5 (ढ़ाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) विभागीय पत्रांक 7246(S) WE दिनांक 14.11.2007 द्वारा लागू किया गया है । यह स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) मूलरूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के मानक Bid Document पर आधारित है ।

2. राज्य में झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 प्रचलित है । उक्त के आलोक में वाणिज्य-कर विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 232 दिनांक 27.02.2025 द्वारा झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निबंधित संवेदकों से ही Works Contract Execute कराये जाने का परामर्श दिया गया है, जिसके आलोक में वर्तमान में लागू स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) के कंडिका-43 (Payments) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

3. सम्यक विचारोपरान्त पथ निर्माण विभाग के वर्तमान में 2.5 (ढ़ाई) करोड़ रुपये से अधिक लागत के कार्यो हेतु लागू स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

SECTION 3: CONDITIONS OF CONTRACT			
Sl. No.	Reference Clause of SBD	Current Provisions in the SBD Jharkhand Procurement of Civil Works	Amendment in the SBD Jharkhand Procurement of Civil Works
1.	43.1 of Section-3 (Conditions of Contract)	Payments shall be adjusted for deductions for advance payments, retention, other recoveries in terms of contract and taxes at source, as applicable under the law. The Employer shall pay the Contractor the amounts certified by the Engineer within 28 days of the date of each certificate. If the Employer makes a late payment, the Contractor shall be paid interest on the late payment in the next payment. Interest shall be calculated from the date for which the payment should have been made upto the date when the late payment is made at 12% per annum.	As existing
2.	43.2 Section-3 (Conditions of Contract)	Items of the Works for which no rate or price has been entered in will not be paid for by the Employer and shall be deemed covered by other rates and prices in the Contract.	As existing
3.	Insertion of Clause 43.3	-	Before executing the Works Contract/ raising bill for payment, the contractor must submit their GST Registration Certificate under Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखंड, रांची
